विशेष विवरण

[illegible] 1.10 का अधिवक्ता, होने से आज वकील हाजर पर पत्रावली पेश हुई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 26/4/18 को पेश हो।

25/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार ~~तलबी/जवाब~~ कोर्ट कैम्प मानोता में दिनांक 18/06/2018 को पेश हो।

18.6.18 पत्रावली कैम्प न्यायालय आयोजित द्वारा मानोता में पेश हुई। पत्रावली का गहन अदालत की भावना से अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदिनांक तकतसली नहीं हुई है। इसलिए C.P.C की धारा 0.9 R5 के तहत वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के क्रम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ